

urgent

राजस्थान सरकार  
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय,  
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान)

क्रमांक : डीसी/BRAP/ई-05415/2024/

दिनांक :

## कार्यालय आदेश

बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (BRAP- 2024) की पालना में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के प्रावधानों के तहत जारी किये जाने वाले औषधि निर्माण अनुज्ञापत्रों का रिस्क निर्धारण **उच्च जोखिम श्रेणी (High Risk Category)** में किया जाता है ।

(राजाराम शर्मा)  
औषधि नियंत्रक—द्वितीय  
राज0 जयपुर

(अजय फाटक)  
औषधि नियंत्रक—प्रथम  
राज0 जयपुर

क्रमांक : डीसी/BRAP/ई-05415/2024/5033

दिनांक 3/9/24

प्रतिलिपि:-

1. निजी सहायक, आयुक्त महोदय, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त सहायक औषधि नियंत्रक/औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान को पालनार्थ ।
3. प्रभारी, सर्वर रूम, निदेशालय को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
4. रक्षित पत्रावली।

(राजाराम शर्मा)  
औषधि नियंत्रक—द्वितीय  
राज0 जयपुर

(अजय फाटक)  
औषधि नियंत्रक—प्रथम  
राज0 जयपुर

Signature valid



Digitally signed by Rajaram  
Sharma  
Designation: Deputy Controller  
Date: 2024.09.03 11:09:06 IST  
Reason: Approved

Document Certified by Ajay Phatak  
<DRUGCONTROLLER1.MH@RAJASTHAN.GOV.IN>

Digitally Signed by AJAY  
PHATAK  
Designation: Drug Controller  
Date :03-09-2024 11:17:48

RajKaj Ref No.: 10047856

RajKaj Ref No.: 10203596